अतिमहत्वपूर्ण / समयसीमा

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

कमांक 6/ऑडिट/2021/266 भोपाल, दिनांक 27/07/2021

प्रति,

1. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, राज्य संस्थान, स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, सह अधीक्षक, जी.एम. हॉस्पीटल, रीवा, मध्यप्रदेश।
8. एम.आर. टी.बी. हॉस्पीटल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर, मध्यप्रदेश.।
11. प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
12. अधीक्षक, सिविल हॉस्पीटल, बैरागढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश।
13. अधीक्षक, ई.एस.आई. हॉस्पीटल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
14. अधीक्षक, ई.एस.आई. हॉस्पीटल, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
15. अधीक्षक, जे.एस.आर. ईटारसी, मध्यप्रदेश।
16. अधीक्षक, के.एन.के. हॉस्पीटल, भोपाल, मध्यप्रदेश।
17. अधीक्षक, एम.वाय. हॉस्पीटल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
18. अधीक्षक, आर.डी.एच. जबलपुर, मध्यप्रदेश।
19. अधीक्षक, टी.बी. हॉस्पीटल, भोपाल, मध्यप्रदेश।
20. अधीक्षक, टी.बी. हॉस्पीटल, नोगांव, मध्यप्रदेश।
21. अधीक्षक, टी.बी. क्लीनिक, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
22. अधीक्षक, टी.बी. सेनेटेरियम्, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

विषयः— **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Public Heath and Family Welfare Department) की इकाईयों की लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु ऑनलाईन उच्च स्तरीय समिति (HPC) के आयोजन करने के संबंध में।**

——00——

प्रधान महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर द्वारा विभागांतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के अधीन संचालित 174 इकाईयों के मार्च 2020 तक किये गये 644 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की 2613 लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु ऑनलाईन एचपीसी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। महालेखाकार द्वारा प्रस्तावित ऑनलाईन एच.पी.सी. में लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु प्रस्तावित प्रारूप परिशिष्ट–अ पर संलग्न हैं। स्वास्थ्य संस्थावार लंबित कंडिकाओं का विवरण परिशिष्ट–ब पर संलग्न हैं (पत्र निर्धारित प्रपत्र एवं कंडिकाओं का विवरण ई–मेल समस्त क्षेत्रीय संचालक को प्रेषित किया जा रहा हैं।) अतः प्रस्तावित एच.पी.सी. हेतु निर्धारित प्रपत्र में उत्तर प्रारूप तत्समय प्रचलित नियम निर्देशों के तारतम्य में की गई कार्यवाही एवं प्रासांगिक सहपत्र के तारतम्य में तैयार कर क्षेत्रीय संचालक के अभिमत सहित अपर संचालक (वित्त) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2.............

(1) महालेखाकार ग्वालियर द्वारा किये गये लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संस्थावार लंबित कंडिकाओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संकलित किये जाने हेतु संभागीय कार्यालय में पदस्थ उप संचालक की अध्यक्षता में संभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखापरीक्षक की समिति का गठन किया जाकर अभिमत सहित हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में संबंधित कार्यालय के लेखापाल, स्टोर कीपर एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्यतः संचालनालय को कंडिका–2 में वर्णित नोडल अधिकारी को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(2) संभागवार लंबित कंडिकाओं की संकलित जानकारी की मॉनिटरिंग हेतु संचालनालय स्तर के निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामांकित किये जाते है:–

कमांक	नोडल अधिकारी का नाम एवं पद	संभाग का नाम
1	श्री संतोष सिंह, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	इन्दौर, उज्जैन, भोपाल
2	श्री रितेश वर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	सागर, ग्वालियर
3	श्री प्रभाकर ढोके, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	जबलपुर, रीवा

प्रस्तावित एच.पी.सी. की कार्यवाही का पर्यवेक्षण श्री राजीव सिंह पवैया, लेखा अधिकारी, (ऑडिट) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा किया जावेगा। उपरोक्तानुसार नोडल अधिकारी संभाग से संबधित समस्त प्रतिवेदन पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने हेतु उत्तरदायी होगे।

(3) प्रस्तावित एच.पी.सी. हेतु माह अगस्त 2021 में निम्नानुसार तिथियों में संबंधित कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी लंबित कंडिकाओं का उत्तर दो प्रतियों में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य के अभिमत सहित परीक्षण हेतु निम्न नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर कंडिकाओं का उत्तर प्रस्तुत करेंगे। संचालनालय स्तर पर संस्थावार प्राप्त कंडिकाओं के उत्तर के परीक्षणोपरांत पर विभागाध्यक्ष, प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग के अभिमत उपरांत एच.पी.सी. के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

कमांक	संभाग का नाम	जानकारी प्रस्तुत किये जाने की तिथि	सम्पर्क अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	इन्दौर, उज्जैन, भोपाल	16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021	श्री संतोष सिंह, कनिष्ठ लेखा अधिकारी
2	सागर, ग्वालियर	16/08/2021 17/08/2021	श्री रितेश वर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी
3	जबलपुर, रीवा	16/08/2021 17/08/2021	श्री प्रभाकर ढोके, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

3.........

(4) अतः प्रस्तावित अंकेक्षण समिति के बैठक के आयोजन एवं बैठक के पूर्व के उपरोक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(जे. विजय कुमार)
संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
म.प्र.

पृ. कमांक 6/ऑडिट/2021/ भोपाल, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर कि ओर आपके **क./HPC/PH&FW/AMG-II(Report) Email Date 28-05-2021** के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
4. समस्त नोडल अधिकारी/पर्चवेक्षण अधिकारी की ओर पालनार्थ ।
5. एम.आई.एस. शाखा प्रभारी, स्थानीय कार्यालय की ओर पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
म.प्र.

(लम्बित कण्डिकाओं का उत्तर निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

इकाई का नाम–

स.क.	अंकेक्षण अवधि	कण्डिका कमांक	कण्डिका का विवरण	विभाग का उत्तर	विभाग प्रमुख का अभिमत	शासन का अभिमत	वित्त विभाग का अभिमत	महालेखाकार का अभिमत

टीप– कण्डिका के उत्तर के समर्थन में सुसंगत प्रमाण/मूल दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/लेखा/2021/ भोपाल, दिनांक / /2021

प्रति,

1. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल।
3. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (गैस राहत सहित) मध्यप्रदेश।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र, मध्यप्रदेश।
8. समस्त अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/छिन्दवाड़ा एवं नौगांव जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
10. अधीक्षक सिविल अस्पताल, के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल/ रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/जे.एस.आर.,इटारसी/जे.एन.एच.,गैस राहत, भोपाल एवं बैरागढ़, भोपाल मध्यप्रदेश।
11. संचालक मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इंदौर मध्यप्रदेश।
12. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला जेल चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
13. अधीक्षक, पुलिस चिकित्सालय/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मध्यप्रदेश।
14. समस्त कमाण्डेट, विशेषज्ञ सशस्त्र बल चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
15. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, स्थानीय कार्यालय।

विषयः— राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अन्तर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और मंहगाई भत्ता का 14 प्रतिशत करने बाबत्।

संदर्भः— मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग पत्र क्रं. 9–4/– /2021/नियम/चार दिनांक 28 मई 2021।

—0—

संदर्भित पत्र की छायप्रति संलग्न कर लेख है कि आपके अधीन राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों के मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत शासकीय अंशदान के रूप में कटौत्रा किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्न :—उपरोक्तानुसार</u>

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 6/लेखा/2021/456 भोपाल, दिनांक 15/06/2021

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ।
2 संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. MIS शाखा प्रभारी, स्थानीय कार्यालय की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

D:\Account data\pension 2021\ACCOUNTLETER

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफः 9-4/ — /2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28/मई/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अन्तर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और मंहगाई भत्ता का 14 प्रतिशत करने बावत्।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2003 के द्वारा दिनांक 01/01/2004 को या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। उक्त योजना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13/04/2005 से 01/01/2005 या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गयी।

2/ मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25/09/2006 से योजना को लागू करने के विस्तृत निर्देश के बिन्दु क्रमांक - 8 अनुसार कटोत्रा राशि (मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि) के समतुल्य शासकीय अंशदान के रूप में काटे जाने का प्रावधान है।

3/ भारत शासन की अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 के अनुसार नियोक्त अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25/09/2006 के बिन्दु (8) में समतुल्य शासकीय अंशदान के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन ओर मंहगाई भत्ते (डी.ए.) का 10 प्रतिशत होगा और राज्य शासन का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।"

3/ उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाता है।

4/ शेष शर्ते पूर्व में जारी परिपत्र अनुसार ही रहेगी।

28/5/2021

(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग

ड़ि. समस्त DDOs को जारी करने हेतु पत्र प्रारूप प्रस्तुत करें। 10/06/21

9 Order - 77 JAO(S)/लेखा

पृ.क्रमांकः एफः 9-4/— /2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28/मई/2021

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश , विधान सभा भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इन्दौर ।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश शासन ।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल ।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्ट्रेार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट/ 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण, बी-1 गोमतिका परिसर, भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभगा, भोपाल ।
16. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्यप्रदेश ।
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल ।
18. संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल मध्यप्रदेश ।
19. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये ।
20. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा /अधीक्षण शाखा/अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल ।
21. मुख्य सचिव, के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल ।
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
24. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी ।
27. गार्ड फाईल प्रति ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

28/05/2021

(विवेक कुमार धारू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति./2021/ भोपाल, दिनांक..................

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
3. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, म.प्र.।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स भोपाल।
5. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, उज्जैन/जबलपुर।
7. प्राचार्य, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जिला – ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर।
8. अधीक्षक, जे.एस.आर. इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़ भोपाल।

विषय :– प्रधान महालेखाकार ग्वालियर द्वारा जिलों में किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 तक के संबंध में।

संदर्भ :– प्रधान महालेखाकार अर्द्धशासकीय पत्र कमांक डी–19 दिनांक 21.05.2021

-----(0)-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख हैं कि प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया हैं कि वर्ष 2019–20 में 26 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं 17 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की गई हैं।

1. नमूना जांच लेखा परीक्षा के आक्षेपों में इंगित की गई त्रुटियां/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने स्तर पर परीक्षण कर, कार्यवाही करें।
2. साथ ही लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख, सूचनाऐं एवं उत्तर शीघ्रता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि आपत्तियों का स्थल पर ही निराकरण किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावें।

//

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति/2021/ 133 भोपाल,दिनांक 31-5-2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश आडिट भवन, झॉसी रोड, ग्वालियर की ओर आपके पत्र दिनांक 21.05.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी एम.आई.एस., उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

D:\DATA\A-AUDIT 2021\4-AIR\AIR LETTER 2021.DOC -63-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति./2021/ 132 भोपाल, दिनांक 31-5-2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
3. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, म.प्र.।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स भोपाल।
5. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, उज्जैन/जबलपुर।
7. प्राचार्य, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जिला – ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर।
8. अधीक्षक, जे.एस.आर. इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़ भोपाल।

विषय :– प्रधान महालेखाकार ग्वालियर द्वारा जिलों में किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 तक के संबंध में।

संदर्भ :– प्रधान महालेखाकार अर्द्धशासकीय पत्र कमांक डी–19 दिनांक 21.05.2021

———(0)———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख हैं कि प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया हैं कि वर्ष 2019–20 में 26 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं 19 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की गई हैं।

1. नमूना जांच लेखा परीक्षा के आक्षेपों में इंगित की गई त्रुटियां/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने स्तर पर परीक्षण कर, कार्यवाही करें।
2. साथ ही लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख, सूचनाऐं एवं उत्तर शीघ्रता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि आपत्तियों का स्थल पर ही निराकरण किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति/2021/ भोपाल,दिनांक.....................

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश आडिट भवन, झॉसी रोड, ग्वालियर की ओर आपके पत्र दिनांक 21.05.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी एम.आई.एस., उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/लेखा/2021/ भोपाल, दिनांक / /2021

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (गैस राहत सहित) मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र, मध्यप्रदेश।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, स्थानीय कार्यालय।
6. अधीक्षक, के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल/ रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर /जे.एस.आर., इटारसी/जे.एन.एच., गैस राहत, भोपाल एवं बैरागढ़, भोपाल मध्यप्रदेश।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।

विषयः– सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंतिम भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र के पुर्नवैधीकरण बावत्।

संदर्भः– महालेखाकार लेखा एंव हकदारी– द्वितीय का कार्यालय, से प्राप्त पत्र कमांक/निधि–03/1070 भोपाल दिनांक 01.01.2020।

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ आहरण अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत सामान्य भविष्य निधि का संबंधित अभिदाताओं को भुगतान किये जाने संबंधी संवितरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिससे भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित नहीं होता है, तथा प्राधिकृत राशि को आहरण अनावश्यक लंबित होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु महालेखाकार द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र अनुसार राशि का आहरण कर संवितकरण प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्न :–संदर्भित पत्र</u>

संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 6/लेखा/2021/334 भोपाल, दिनांक 03/02/2021

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार ग्वालियर म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति./2020/ 1606 भोपाल, दिनांक 2-1-2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
3. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, म.प्र.।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स भोपाल।
5. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, उज्जैन/जबलपुर।
7. प्राचार्य, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जिला – ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर।
8. अधीक्षक, जे.एस.आर. इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल, छतरपुर. छिंदवाड़ा, जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़ भोपाल।

विषय :– प्रधान महालेखाकार ग्वालियर द्वारा जिलों में किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018 से 2020 तक के संबंध में।

———(0)———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि आपके कार्यालय का प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश आडिट भवन, झॉसी रोड, ग्वालियर द्वारा निरीक्षण अवधि 2018 से 2020 तक किये गये जिसका पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं के अभिमत के साथ चाहा गया था। संचालनालय द्वारा बार–बार स्मरण पत्र जारी करने के पश्चात भी तदाशय का पालन प्रतिवेदन आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हैं। बड़े खेद का विषय हैं कि वरिष्ठ कार्यालय के पत्रों की अवहेलना की जा रही हैं एवं इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में रूचि न लेकर शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही हैं।

अतः आपको पुनः स्मरण कराया जाता हैं कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही **मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii)** में निहित प्रावधान अनुसार प्रस्तावित की जावेगी। विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सतीश कुमार एस.)
संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/निरी.प्रति/2020/ भोपाल,दिनांक...................

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदित [illegible] महालेखाकार [illegible] ग्वालियर के पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

निरन्तर 2

3. प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश आडिट भवन, झाँसी रोड़, ग्वालियर की ओर उनके प्रतिवेदित संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी एम.आई.एस., उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

//
संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म.प्र.